

FORM OF ORDER SHEET**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.****Arbitration Case No.- 83/2022*****Bibi Jintun Nisha.....Petitioner.******Versus******The State of Bihar & Ors.....Opposite Parties.***

Sl No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	10.11.2023	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद कटिहार जिले के मौजा—पागलबाड़ी अवस्थित भूमि जिसे विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—131A (नरेनपुर—पूर्णियाँ) के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि के निर्धारित मूल्य से कम मुआवजा राशि दिये जाने के विरुद्ध राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, 1956 की धारा 3G(5) के अंतर्गत दायर किया गया है।</p> <p>उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि राष्ट्रीय राज मार्ग सं0—131 A (नरेनपुर—पूर्णियाँ) फोरलेन निर्माण / चौड़ीकरण के तहत आवेदक के मौजा—पागलबाड़ी, थाना नं0—280, खाता—29, खेसरा—50, रकवा—मकान को अधिग्रहित किया गया है। जिला भू—अर्जन कार्यालय, कटिहार के भूमि अधिग्रहण वाद सं0—45 / 2016—17 में प्रश्नगत मकान का कुल मुआवजा—39,226 /—(उनचालीस हजार दो सौ छब्बीस) रूपये अवार्ड सं0—199 द्वारा निर्धारित करते हुए उक्त मुआवजा प्राप्त करने हेतु आवेदिका को सूचना निर्गत किया गया। आवेदिका के ससुर अब्दुल मन्नान के नाम से भूमि अधिग्रहित था, उक्त भूमि पर उनके पुत्र मो0 शाहजहाँ (आवेदिका के पति) ने मकान निर्मित किया था। पर इसी दरम्यान आवेदिका के पति मो0 शाहजहाँ का मृत्यु हो जाने के कारण आवेदक ने मुआवजा की राशि विरोध के साथ प्राप्त की। बिहार सरकार को रसीद संख्या—272527 द्वारा वर्ष 2020—21 तक लगान भी अदा किया है। आवेदिका ने अंचल अधिकारी, मनिहारी, कटिहार द्वारा निर्गत वंशावली और अपने अपने पति का मृत्यु प्रमाण—पत्र भी संलग्न किया है। आवेदिका इस अधिग्रहित मकान में रहते आ रहे थे। उक्त मकान मुख्य सड़क के किनारे स्थित था। आवेदिका के अनुसार भवन निर्माण विभाग, कटिहार ने उनके भवन का उचित मूल्य आकलन नहीं किया है। आवेदिका ने नगर निगम, कटिहार के पंजीकृत इंजीनियर द्वारा भवन का आकलित मूल्य 7,13,000 /—(सात लाख तेरह हजार) रूपया बताया है। आवेदक का कहना है कि जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, कटिहार और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एन0एच0ए0आई0 पूर्णिया द्वारा स्वीकृत मुआवजा की राशि काफी कम है।</p>	

क्रमशः

लगातार
10.11.2023

आवेदिका द्वारा पंचाट के निर्गत होने के उपरांत सक्षम प्राधिकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के समक्ष सभी आवश्यक कागजात के साथ मुआवजे के विरोध में आपत्ति दर्ज किया गया तथा आवेदन समर्पित किया गया। परंतु सक्षम प्राधिकार द्वारा इसपर विचार नहीं करने पर इनके द्वारा आपत्ति के साथ मुआवजा की राशि प्राप्त किया गया। आवेदिका के ससुर अब्दुल मन्नान ने उक्त मकान पंचनामा बटवारानामा के आधार पर प्राप्त किया।

इनका आगे कथन है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रश्नगत मकान के अधिग्रहण हेतु निर्धारित मुआवजा अत्यंत ही कम है जो RFCLARR Act-2013 के अनुसार पोषणीय नहीं है। अधिग्रहित भूमि/मकान के बगल में पेट्रोल पम्प, दुकान एवं कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं। साथ ही उक्त जमीन/मकान के बगल के अधिग्रहित भूमि को व्यवसायिक भूमि में वर्गीकृत किया गया है। आवेदिका के पक्के भवन का आकलित मूल्य 3,08,000/- (तीन लाख आठ हजार) रूपया बताया है। इसका मुआवजा राशि इस आकलित मूल्य का दोगुना 6,16,000/- (छः लाख सोलह हजार) साथ ही 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मुआवजा भी देय होता है। इस प्रकार आवेदक ने कुल मुआवजा 6,83,760/- (छः लाख तेरासी हजार सात सौ साठ) रूपया देने की प्रार्थना की है। पूर्व में पंचाट के अनुसार 89,226/- रूपये की प्राप्ति के बाद कुल बाकी मुआवजा 6,44,534/- (छः लाख चौवालीस हजार पाँच सौ चौतीस) रूपये के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0-01 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि वादी मो0 आसताब आलम व अन्य द्वारा वाद दायर किया गया कि इनकी अधिग्रहित की गई भूमि/मकान का वर्गीकरण एवं सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। उनका यह कथन सत्य नहीं है। प्रस्तुत वाद विधि एवं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजा सूचना प्रकाश के समय निर्धारित बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर दिया गया है, जो सही है। इस प्रकार इनके वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0- 02 (Project Director, NHAI) का कथन है कि प्रस्तुत वाद तथ्यों एवं पक्षकार के दोष ग्रसित होने के कारण पोषणीय नहीं है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि को “कृषि” से “गैर कृषि” प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार से सम्पर्वर्तन (Conversion) नहीं कराया गया है। फिर भी इस भूमि/मकान को आवासीय एवं व्यवसायिक श्रेणी का दावा किया जाना गलत एवं अवैधानिक है। दिनांक— 22.07.2020 को जिला मूल्यांकन समिति जिसके अध्यक्ष जिला निबंधक—सह—जिला समाहर्ता, कटिहार के द्वारा RFCLARR Act-2013 के अनुसार संबंधित मौजा—डहेरिया के विगत तीन वर्षों के क्रय—विक्रय विलेख के

	<p>समीक्षोपरांत अर्जित भूमि को दो-फसला श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए दर का निर्धारण किया गया है जो</p> <p style="text-align: right;">क्रमशः</p> <p>लगातार 10.11.2023</p> <p>सही है। आवेदक द्वारा इससे पूर्व भू-अर्जन की अधिसूचना एवं अधिघोषणा के प्रकाशन के बाद समय पर परियोजना निदेशक NHAI के समक्ष आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। सक्षम प्राधिकार (जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार) द्वारा आवेदक के भूमि के प्रकृति का सही प्रकार से नियमानुकूल वर्गीकृत कर मुआवजा का निर्धारण किया गया है। आवेदक द्वारा दावा किये गये मुआवजे की राशि काल्पनिक एवं मनगढ़त है। इस प्रकार इनकी ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज होने योग्य बताया गया है।</p> <p>सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार द्वारा समर्पित मंतव्य का समर्थन करते हुए अंकित किया गया कि सभी परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि/मकान का वर्तमान स्वरूप अर्थात् किस्म/प्रकार का वर्गीकरण तथा भूमि का उचित मुआवजा का निर्धारण करने हेतु समाहर्ता, कटिहार की अध्यक्षता में गठित छ: सदस्यीय समिति के द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात किया गया है। उक्त प्रश्नगत भूमि के लिए निर्धारित मुआवजा की राशि नियमानुकूल है। इस प्रकार इनके द्वारा वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट है कि RFCTLARR ACT-2013 की धारा-23 के अनुसार दिनांक 22.05.2019 को जिला स्तरीय छ: सदस्यीय समिति द्वारा मौजा पागलबाड़ी के विगत तीन वर्षों का बिक्री आंकड़ा का 50 प्रतिशत उच्चतम दर का औसत एवं एम०भी०आर० का तुलना कर उच्चतम दर को स्वीकृत किया गया है। उक्त मौजा के लिए दो श्रेणियों में दर का निर्धारण किया गया। 1. आवासीय श्रेणी के लिए प्रति एकड़ मो० 17,45,714 / रु० एवं 2. दो फासला श्रेणी के लिए प्रति एकड़ मो० 4,88,907 / रुपये। उक्त निर्धारण दर पर ही आवेदिका के अर्जित मकान सहित भूमि का मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है जो नियमानुकूल है। जिसे पुनरीक्षित करने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। इसी के साथ आवेदक के दावे को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारी को भेजें।</p> <p>लेखापित एवं शुद्धित।</p> <p style="text-align: center;">आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।</p> <p style="text-align: right;">आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Web Copy. Not Official.